

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)
(Phone No 0141-2227229, Email ID :- pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- **29 SEP 2017**

बैठक सूचना

निर्देशानुसार माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 06.10.2017 जिला कलेक्ट्रेट सभा भवन सिरोही में प्रातः 11.00 बजे से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी।


उक्त बैठक में निर्देशानुसार निम्न अधिकारी भाग लेंगे :-

- 1 अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 3 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 4 शासन सचिव एवं आयुक्त, महानरेगा।
- 5 आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, पंत कृषि भवन।
- 6 निदेशक, स्वच्छता मिशन-ग्रामीण, जयपुर।

बैठक कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

बैठक में प्रतिभागी	एजेण्डा
सिरोही जिले के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिला प्रमुख, समस्त प्रधान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारीगण तथा जिला कलेक्टर सिरोही के पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभाग एवं लाईन विभाग के अधिकारी।	जिले में विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा।


उक्त बैठक का आयोजन, समन्वय एवं बैठक कार्यवाही विवरण आदि का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही का होगा।


(पुष्कर राज शर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

कृ. पू. उ.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 4 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 6 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 8 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त महानरेगा।
- 9 निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
- 10 निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छता मिशन ग्रामीण।
- 11 संयुक्त शासन सचिव, प्रशासन, ग्रावि।
- 12 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास।
- 13 जिला कलक्टर, सिरोही।
- 14 जिला प्रभारी, सिरोही।
- 15 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरोही को प्रेषित कर लेख है कि जिले के माननीय सांसद महोदय/विधायकगण/जिला प्रमुख/प्रधानगण एवं जिले के विकास अधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु सूचित करेंगे, साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सिरोही विभाग की योजनाओं की क्रियान्विति से संबंधित लाइन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी एवं पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को भी सुसंगत सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जावे। बैठक से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।
- 16 परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (एसएपी-।एवं।।)।
- 17 परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.)।
- 18 अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)।
- 19 मुख्य कार्यकारी अधिकारी बॉयोफ्यूल प्राधिकरण, योजना भवन।
- 20 परियोजना निदेशक, (एमई), राजिविका, उद्योग भवन।
- 21 नोडल अधिकारी (एमपावॉर)।
- 22 सहायक निदेशक (प्रचार) ग्रामीण विकास विभाग।
- 23 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट (rdprd.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)